न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 08/2016 (225 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :— 2015/00087

उनवान

1. बाबूलाल } पुत्रगण स्व0 सकता जाति जाटव निवासीयान ग्राम ववेखर तहसील भुसावर
2. चन्दू } जिला भरतपुर।
3. श्रीमति कैला पुत्री स्व0 सुखदेव पत्नी परसराम जाति जाटव निवासी मवासी तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. श्रीमती सोनवती पुत्री स्व0 सुखदेव पत्नी फूलचन्द जाति जाटव निवासी बॉसी तहसील कठूमर जिला अलवर।
5. श्रीमती कल्लो वेवा सुखदेव जाति जाटव निवासी ववेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी ववेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. हरीकिशन पुत्र दयाराम } जाति जाटव निवासी ववेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
3. रनवीर पुत्र दुलारी }
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
5. गोपाल पुत्र सुखराम
6. नंदराम पुत्र नेतराम
7. चिरंजी पुत्र नेतराम } जाति जाट निवासी ववेखर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
8. मंगल पुत्र दयाराम
9. पूरन
10. हरमुख
11. तेज सिंह } पिस0 सुखदेव
12. रामप्रसाद
13. पतराम
14. पूरन पुत्र दुलारी

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दिनांक 03.09.2015 प्र.सं. 86/13 उनवान गोविन्द सिंह बनाम गोपाल।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. वकील तरतीवी रैस्पो0 श्री मुरारीलाल तिवारी उपस्थित।
3. वकील रैस्पो0 श्री तालेराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक–30.08.2018

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर के आदेश दिनांक 03.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/असल रैस्पो0 की सहखातेदारी की भूमि वाके ग्राम ववेखर खसरा नम्बर 248 में आने जाने हेतु रिकार्डेड रास्ता नहीं है। ग्राम ववेखर आम रास्ता खसरा खसरा नम्बर 179 का उपयोग किया जाता है। आम रास्ता खसरा नम्बर 179 व प्रार्थी/असल रैस्पो0 की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 248 के मध्य खसरा नम्बर 232, 235, 238 स्थित हैं। आम रास्ता खसरा नम्बर 179 से खसरा नम्बर 232, 235 की दक्षिणी मेंड के सहारे होते हुए, खसरा नम्बर 235 पूर्वी मेंड के सहारे एवं खसरा नम्बर 238 की उत्तरी मेंड के सहारे–सहारे 08 फीट चौडा रास्ता आवागमन हेतु पूर्व से उपयोग में आता रहा है। परन्तु अप्रार्थी/अपीलांट उक्त रास्ते को बन्द करने की नीयत से, जोतकर अपनी आराजी में मिला रहे हैं। अतः ग्राम ववेखर आम रास्ता खसरा नम्बर 179 व प्रार्थी/असल रैस्पो0 की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 248 उसके मध्य अप्रार्थीगण/अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 232, 235 की दक्षिणी मेंड के सहारे–सहारे होतु हुए खसरा नम्बर 235 की पूर्वी मेंड के सहारे–सहारे तथा खसरा नम्बर 238 की उत्तरी मेंड के सहारे–सहारे 08 फीट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करते हुए, एवज में मुआवजा राशि जमा कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

3. तरतीवी रैस्पो0 संख्या 05 लगायत 08 ने न्यायालय में उपस्थित होकर असल रैस्पो0 के पक्ष में राजीनामा पेश करते हुए, मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। खण्डन में अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा, अपील आगे चलाने का निवेदन किया परन्तु बहस सुनाने को तैयार नहीं होना कथन किया। पत्रावली उभयपक्ष की सहमति से गुणावगुण पर निर्णय हेतु नियत की गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाण्ट का प्रस्तुत अपील में मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें व तरतीवी रैस्पो0 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं असल रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र में अन्य सहखातेदारो का पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त से परे है। हमने मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 की ओर से उनके अभिभाषक का वकालतनामा संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की जानकारी ना होने का बहाना अतार्किक, असत्यभासी है। अपीलाण्ट स्वयं का दायित्व था कि वह न्यायालय की कार्यवाही से स्वयं को सूचित रखे एवं यथा आवश्यक अपने अभिभाषक के सम्पर्क में रहे। अपीलाण्ट की, अन्य सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने बाबत् आपत्ति के संबंध में हम पाते हैं कि असल रैस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 ए में खसरा नम्बर 248 में दर्ज अन्य सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है एवं ना ही रास्ते बाबत् उनकी सहमति ही ली गयी है। जबकि वह विवादित आराजी में सहखातेदार होने के नाते, आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर गौर ना करते हुए, मात्र अकेले रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है।

5. हम यह भी पाते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए **"अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना"** किसी भू–धारक को मार्गाधिकार, की आत्यंतिक आवश्यकता हेतु है, यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है। प्रस्तुत प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में, रास्ते हेतु आत्यंतिक आवश्यकता अथवा वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई विवेचना अंकित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय के इस प्रकार बिना विवेक प्रयोग किये, पारित अपीलाधीन आदेश का हम समर्थन करना उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. जहॉ तक तरतीवी रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का प्रश्न है, राजीनामा सारपूर्ण नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा अपीलाण्ट की ओर से ना होकर, तरतीवी रैस्पो0 द्वारा असल रैस्पो0 के पक्ष में दिया है, अतः हस्तगत प्रकरण में उक्त राजीनामा अप्रसांगिक है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 03.09.2015 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचनानुसार एवं धारा 251 ए में दिये गये प्रावधानो के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2018 को वास्ते सुनवाई उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर, नंबर से कम की जावे तथा बाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official